

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 301 / 2025

चन्द्रकला पत्नी जयपाल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़ (राज.)

-वादीया

बनाम

1. अमित पुत्र जयपाल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़  
(राज.)

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 2.7.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई  
हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिंवल अभिभाषक वादी व श्री हरबन्सा सिंह झोरड  
अभिभाषक प्रतिवादी मिन जामिन मुदई की उपस्थिति में वाद वादीया स्वीकारात्मक जवाबदावा  
के आधार पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है  
कि चक नं. 2 डी.एल.पी. खाता सं. 104/85 में 0.564 है. व चक नं. 5 एम.जे.डी. खाता सं.  
58/43 में 0.970 है. कृषि भूमि का वादीया चन्द्रकला को खातेदार काश्तकार घोषित किया  
जाता है तथा चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 73/12 में 2.067 है. जं.सं. 2070-73 में प्रतिवादी  
सं. 1 अमित को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खातो में से वादीया के  
पति एवं प्रतिवादी सं. 1 के पिता जयपाल का नाम उक्त खातो से कलमजन किया जाता है।  
इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें।

आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व  
रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।  
निज...निल...मुब्लिक...निल...बाबत...निल...खर्चा मुकदमें के मय  
शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...को अदा करें।  
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 2.7.2025 को जारी किया  
गया।

( जय कौशिक )

महासहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
संगरिया